रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2000/फाल्गुन 24, 1921

No. 162] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2000/PHALGUNA 24, 1921

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2000

सा. का. नि. 244(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2000 है।

   (2) ये 1 जनवरी, 1996 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 के नियम 8 के उपनियम (2) में "एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष की दर पर" शब्दों के स्थान "चार हजार सात सौ सोलह रुपए प्रतिवर्ष की दर पर" शब्द रखे जाएंगे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1985 भूतलक्षी रूप से, अर्थात् 1 जनवरी, 1996 से, संशोधित किए जा रहे हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[ए.-11013/6/99-ए. टी.]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 644(अ) तारीख 10 अगस्त, 1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधित किए गए :

(1) सा. का. नि. 583(अ), तारीख 18 जून, 1987

(2) सा. का. नि. 9(अ), तारीख 6 जनवरी, 1988

(3) सा. का. नि. 79(अ), तारीख 4 फरवरी, 1988

(4) सा. का. नि. 324(अ), तारीख 3 मार्च, 1988

(5) सा. का. नि. 120(अ), तारीख 22 फरवरी, 1989

(6) सा. का. नि. 417(अ), तारीख 31 मार्च, 1989

(7) सा. का. नि. 72(अ), तारीख 30 जनवरी, 1992

(8) सा. का. नि. 41(अ), तारीख 1 फरवरी, 1993

(9) सा. का. नि. 39(अ), तारीख 20 जनवरी, 1995

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2000

G. S. R. 244(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 and section 36A, of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairmen, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2000.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

2. In rule 8 of the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985, in sub-rule (2), for the words "at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum", the words "at the rate of rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum" shall be substituted.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to revise the pension of Members of the Central Administrative Tribunal with effect from the 1st January, 1996. Accordingly the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Rules, 1985 are being amended retrospectively, that is with effect from the 1st January, 1996.

2. It is certified that no Member of the Central Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

[A-11013/6/99-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

Foot Note.— The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 644(E), dated the 10th August, 1985 and subsequently amended vide notification Nos. :

(1) G.S.R. 583(E), dated the 18th June, 1987.

(2) G.S.R. 9(E), dated the 6th January, 1988.

(3) G.S.R. 79(E), dated the 4th February, 1988.

(4) G.S.R. 324(E), dated the 3rd March, 1988.

(5) G.S.R. 120(E), dated the 22nd February, 1989.

(6) G.S.R. 417(E), dated the 31st March, 1989.

(7) G.S.R. 72(E), dated the 30th January, 1992.

(8) G.S.R. 41(E), dated the 1st February, 1993.

(9) G.S.R. 39(E), dated the 20th January, 1995.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064